न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2020 – निगरानी

1. श्रीमती करमी पुत्री माना गुर्जर पत्नी नारायण गुर्जर निवासी– हेमाजी का खेड़ा (रामपुरिया) हाल कांवलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती केसर पुत्री माना गुर्जर पत्नी रामचन्द्र गुर्जर निवासी– हेमाजी का खेड़ा (रामपुरिया) हाल कानाजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती लादी देवी पत्नी सुखा गुर्जर निवासी– हेमा जी का खेड़ा (रामपुरिया) ग्राम पंचायत दडावट तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत दडावट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दडावट पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत दड़ावट जरिये सचिव ग्राम पंचायत दड़ावट पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज. अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 44 दिनांक 20/11/2019

उपस्थित –

1. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पीयूष शर्मा एवं श्री के.जी. शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में निजी बाड़ा का पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.11.2019 को जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध तरीके से निगराकारान की जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी बताते हुए पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 01 का हेमाजी का खेड़ा मे ससुराल है व उक्त पट्टा 50 वर्षों से अधिक समय से पुराने घर के कब्जे मे/गत 50 वर्षों के दौरान निर्माण कार्य होना बताकर गेर निगराकार संख्या 01 को उक्त पट्टा जारी किया गया, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 की उम्र 47 वर्ष है, जब गैर निगराकार संख्या 01 की उम्र ही 47 वर्ष है तो 50 वर्ष से कब्जा कैसे हो सकता है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

दडावट व ग्राम हेमाजी का खेड़ा मे पट्टेशुदा भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये, मात्र गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलाभगती कर गैर निगराकार संख्या 02 ने विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया है गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायतराज नियमो 142 से 157 की पालना नही की है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.11.2019 को निरस्त कराया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित जायदाद का कोई मौका निरीक्षण नही किया तथा गैर निगराकार संख्या 01 का वादग्रस्त जायदाद पर कोई कब्जा नही होते हुए भी बिना जांच पड़ताल कर उक्त पट्टा जारी किया है, विवादित जायदाद पर कब्जा एंव दखल तन्हा निगराकारान का ही चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की न ही कोई ग्राम पंचायत दडावट व ग्राम हेमाजी का खेड़ा मे पट्टेशुदा भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये, मात्र गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलाभगती कर गैर निगराकार संख्या 02 ने विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया है गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज नियमो 142 से 157 की पालना नही की है। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.11.2019 को निरस्त कराया जावें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने जो पट्टा बनवाया गया वह

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर जो पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.11.2019 जारी किया गया, उसमें विधिक रूप से कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अतः निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत दडावट, पंचायत समिति आसीन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.11.2019 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत दडावट पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा